न्यायालय :–सिविल न्यायाधीश, सीकर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **ऋतु मीणा, आर.जे.एस.**

दीवानी विविध संख्या : **0002 सन् 2015** (162/2014)

.....

1– ज्योति कुमारी पुत्री जगन सिंह
2– पायल कुमारी अवयस्क पुत्री जगन सिंह
3– शीतल कुमार अवयस्क पुत्री जगन सिंह
4– जयन्त अवयस्क पुत्र जगन सिंह
वादी संख्या–2 लगायत 4 जरिए वादमित्र प्राकृतिक संरक्षिका माता तीजू देवी पत्नी जगह सिंह
5– कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय गोविन्दा
समस्त जाति जाट, निवासीगण–कुड़ली, तहसील व जिला–सीकर (राज.)

.....आवेदकगण

बनाम

1– श्रीमती संज्या पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट निवासीनी चौधरी कॉलोनी, पिपराली रोड़, सीकर (राज.)
2– किरण पुत्री देवीसिंह, जाति जाट निवासीनी कैलाश नगर, पिपराली रोड़, सीकर (राज.)
3– श्रीमती रामेश्वरी पत्नी देवीसिंह, जाति जाट निवासीनी कैलाश नगर, पिपराली रोड़, सीकर (राज.)
4– जगनसिंह पुत्र स्वर्गीय गोविन्दा जाति जाट निवासी कुड़ली जिला सीकर
5– पूर्णमल पुत्र स्वर्गीय गोविन्दा जाति जाट निवासी कुड़ली जिला–सीकर
6– उप–पंजीयक, सीकर तहसील व जिला सीकर।
7– तहसीलदार, सीकर।
8– राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, सीकर।

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा–39 नियम–1 एवं 2 एवं सपठित
धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता

.....

उपस्थिति :–
1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुरजभान, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री जाकिर अली, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से।
4. अप्रार्थी सं. 6 से 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। (एकपक्षीय कार्यवाही)

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 22.01.2015**

आवेदकगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रकिया संहिता का विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक/सहदायिक कृषि भूमि खसरा नंबर 769 रकबा 1.59 हैक्टेयर पुरा खसरा नंबर 383/1/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम कुड़ली की तन में स्थित है। प्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पिता के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 769 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाकै ग्राम

कुड़ली की भूमि प्रार्थीगण की सहदायिक पैतृक कृषि भूमि होने के कारण अपने पिता के समान अंश जन्म से ही प्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को प्राप्त है। उक्त हिस्सा प्रार्थी सं. 1 से 4 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 से प्राप्त है। दिनांक 20.12.2004 से पूर्व व्ययन की गई सम्पत्तियों के पश्चात् पिता के पास शेष रही सम्पत्तियों में पुत्र के समान पुत्रियों का भी हिस्सा होना कानूनन मान्य किया गया है। इसप्रकार से दिनांक 20.12.2004 के पश्चात् प्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 769 के 1/2 हिस्सा में से प्रार्थी सं. 1 से 4 को हिस्सा प्राप्त हो गया, जिसे विक्रय करने का किसी अन्य को कोई हक अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवा भी दिया हो तो भी प्रार्थी सं. 1 से 4 के हिस्से तक अवैध, शन्य व प्रभावहीन है। वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण में से 1/10 हिस्से का मौखिक सौदा कर लिया व प्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता को विश्वास में लेकर परिवार के अन्य सदस्यों की बिना जानकारी के गवाह के तौर पर प्रार्थी सं. 1 से 4 की दादी को भी अप्रार्थी सं. 4 के मार्फत बुला लिया परन्तु अप्रार्थी सं. 2 के पिता के मन में बेइमानी थी जिसने पहले से ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में तैयार करवा रखे विक्रय पत्र को अप्रार्थी सं 4 के 1/10 हिस्से का बताकर उप–पंजीयक के समक्ष दिनांक 15.02.2006 को अप्रार्थी सं. 4 से प्रस्तुत करवा दिया व प्रार्थी सं. 1 से 4 की दादी को गवाह बताकर अंगुठा निशानी विक्रय पत्र पर करवाये। जबकि उक्त विक्रय पत्र में अप्रार्थी सं. 4 का हिस्सा 1/2 एवं प्रार्थी सं. 1 से 4 की दादी व प्रार्थी सं. 5 की माता सोनकी का हिस्सा 1/4 में से 2/3 सहित 1.05 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र कपटपूर्वक निष्पादित करवा कर पंजीकृत करवा लिया। उक्त विक्रय पत्र की प्रार्थीगण को पूर्व में भी जानकारी नहीं रही ना ही उक्त कूटरचित अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर अप्रार्थी सं. 1 से अप्रार्थी सं. 3 के नाम नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2012 को निष्पादित व पंजीकृत करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं अप्रार्थी सं. 1 के स्थान पर 3 का नाम दर्ज होने की कभी जानकारी रहीं। चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत दिनांकित 15.02.2006 में अप्रार्थी सं. 4 का बताया गया सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 4 के कब्जा हक अधिकार का नहीं था। अर्थात् उक्त 1/2 हिस्सा में प्रार्थी सं. 1 से 4 का 4/5 हिस्सा सम्पूर्ण में से 4/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 4 का 1/5 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण में से 1/10 हिस्सा पर ही हक अधिकार कब्जा काश्त रहा है। इसलिए प्रार्थी सं. 1 से 4 के

नोशनल हिस्सा को विक्रय करने का अप्रार्थी सं. 4 ना तो हकदार था और ना ही अप्रार्थी सं. 4 के पास उक्त 1/10 हिस्सा के अलावा भूमि पर स्वामित्व व कब्जा था और ना ही अप्रार्थी सं. 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई 1/2 हिस्सा की प्रविष्टि स्वत्व का सबूत है। क्योंकि प्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को उकत 4/10 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 से प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में निष्पादित एवं पंजीकृत चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र प्रार्थी सं. 1 से 4 के अधिकारों के विपरीत होने की घोषणा किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने, वादग्रस्त कृषि भूमि को अकृषि हेतु काम में लेने, जबरन कच्चा अथवा पक्का निर्माण करने, पेड़, काटने, प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने से प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी सं. 6 वादग्रस्त कृषि भूमि का अन्तरण प्रलेख निष्पादित करने व अप्रार्थी सं. 7 राजस्व रिकॉर्ड को परिवर्तित करने से प्रतिबंधित रहे।

उक्त प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी सं. 1 से 3 के द्वारा जवाब पेश कर यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 4 उसकी माता सोनकी की प्रश्नगत सम्पत्ति पैतृक अथवा सहदायिकी की परिभाषा में नहीं आती है। यदि अप्रार्थी सं. 4 की 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि पैतृक व सहदायिकी भूमि मान भी ली जावे तो उसे वैध पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रश्नगत भूमि का विक्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार है। किसी भी कानून में विक्रय पर रोक नहीं है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। विक्रेता रिकॉर्डेड खातेदार है। इसलए विक्रय पत्र पूर्णतया वैध है। सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी सं. 4 का कब्जा काश्त था, जिसको विक्रय कर कब्जा अप्रार्थी सं. 1 से 3 को सम्भलाया है। अप्रार्थी सं. 4 व उसकी माता सोनकी ने अपना हिस्सा क्रमशः 1/2 व 1/4 में से 2/3 हिस्सा अपने वैध पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार भाव से समुचित मूल्य प्राप्त कर सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रार्थीगण को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर कब्जा सम्भलाया है। दोनों विक्रेतागण जगन व सोनकी ने सोच समझकर स्वस्थ चित से बिना किसी नशे पते से विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है। विक्रय पत्र कतई कुटरचित नहीं होकर पूर्णतया वैध है, जिसको चुनौती देने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र से पूर्व अपना हिस्सा सक्षम न्यायालय से उद्घोषित नहीं करवाया है। इसलिए उसमें प्रार्थीगण को कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं हुये सोनकी देवी ने भी होश हवास में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया और वह

विधवा स्त्री होने के नाते पति से प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी थी। भूमि खसरा नंबर 769 रकबा 1.57 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 4 का रिकॉर्डेड 1/2 हिस्सा था, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नहीं था। उस सम्पूर्ण हिस्से का अप्रार्थी सं. 4 को विक्रय करने का अधिकार था इसलिए विक्रय पत्र पूर्णतया वैध है।

विशेष कथनों में कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता है व रिकॉडेड खातेदार है और जिसका 2/3 भाग पर कब्जा काश्त है। जिसके अन्दर अप्रार्थीगण का पुख्ता मकान बना हुआ है और चारों तरफ राजस्व न्यायालय के आदेश से हल्का पटवारी की मौजूदगी में तारबंदी लोहे की जाली फैसींग लगी हुई है व मौके पर लोहे का गेट लगा हुआ है व क्रय करने के समय से आज तक काबिज काश्त है। प्रार्थी सं. 1 से 4 न तो रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही उनका कब्जा काश्त है। स्वामित्व व कब्जे के अभाव में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा कतई जारी नहीं की जा सकती। इस वाद में चाही गई सहायता का वाद इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व से राजस्व न्यायालय में लम्बित है, जहां इनको सफलता नहीं मिली तो इस न्यायालय में उसी सहायता का पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। सोनकी ने या उसके वारिसान ने उसके जीवनकाल में इस विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी उसकी मृत्यु 2008 में हुई है। अब इतने लम्बे अरसे के पश्चात् उसके वारिसान को विक्रय पत्र को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से जवाब पेश कर यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 4 ने विक्रय पत्र दिनांकित 16.02.2006 के द्वारा अप्रार्थी सं. 4 के नाम से दर्ज सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का बेचान नहीं किया था। बल्कि अप्रार्थी सं. 4 ने सम्पूर्ण में 1/10 हिस्से का बेचान किया था। क्योंकि उक्त 1/10 हिस्सा ही विक्रय करने में अप्रार्थी सं. 4 सक्षम था। इसके अलावा प्रार्थी सं. 5 व अप्रार्थी सं. 4 व 5 की माता ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 को भूमि का बेचान नहीं किया था। बल्कि अप्रार्थी सं. 4 उसे गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाने के लिए साथ में लाया था। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र के अनुसार ना तो कब्जा दिया गया है और ना ही कब्जा दिया जाना सम्भव था। जिस कारण वादग्रस्त सम्पदा पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 का ही अपने अपने हिस्सेनुसार कब्जा है एवं प्रार्थी सं. 1 से 4 वादग्रस्त सम्पदा की अपने पिता के जीवनकाल में सहदायिक है। जिनके नोशनल हिस्सा का अप्रार्थी सं. 4 द्वारा बेचान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जावे।

प्रार्थीगण को अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए निम्नांकित तीन सर्वमान्य बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करना होगा :–

(1) प्रथम दृष्ट्या मामला,

(2) सुविधा का सन्तुलन,

(3) अपूर्तनीय क्षति

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह तर्क दिया है कि प्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर–769 रकबा 1.57 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 383/1/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाकै सहदायिक पैतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थीगण को अपने पिता के समान अंश जन्म से ही प्राप्त है। प्रार्थी सं. 1 से 3 अप्रार्थी सं. 4 की पुत्रियां हैं, जिन्हें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधित अधिनियम से नोशनल हिस्सा प्राप्त है। इसप्रकार से दिनांक 20.12.2004 के पश्चात् प्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी सं. 1 से 4 को हिस्सा प्राप्त हो गया है, जिसे विक्रय करने का किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 के ही कब्जा में है एवं 0.1570 हैक्टेयर भूमि के अलावा प्रतिफल राशि का भी आदान प्रदान नहीं हुआ है। जो आधार प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थनापत्र की मद सं. 4 में बतायी गई है, उनके आधार पर विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.2004 अवैध व शुन्य घोषित किए जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने एवं वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई भी जबरन कच्चा पक्का निर्माण करने और उक्त भूमि को बेचान करने से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाए।

अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए हैं :–

1– 2013 (1) डी.एन.जे. पेज नं. 170

2– 2012 (3) डी.एन.जे. (राज.) पेज नं. 1529

3– 2012 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज नं. 333

4– 2012 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज नं. 485

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के रिकॉडेड खातेदार नहीं है। विक्रेता रिकॉडेड खातेदार है। इसलिए विक्रय पत्र पूर्णतया वैध है। सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर

अप्रार्थी सं. 4 का कब्जा काश्त था। अप्रार्थी सं. 4 व उसकी माता सोनकी ने अपना हिस्सा अपनी वैध पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार भाव से समुचित मूल्य प्राप्त कर सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अप्रार्थीगण को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाकर कब्जा सम्भलाया है। प्रार्थीगण के द्वारा विक्रय पत्र से पूर्व अपना हिस्सा सक्षम न्यायालय से उद्घोषित नहीं करवाया गया है। इसलिए प्रार्थीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण का विवादित कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता है व रिकॉडेड खातेदार है और जिसका 2/3 भाग पर कब्जा काश्त है। जिसके अन्दर अप्रार्थीगण का पुख्ता मकान बना हुआ है और चारों तरफ राजस्व न्यायालय के आदेश से हल्का पटवारी की मौजूदगी में तारबंदी लोहे की जाली फैसींग लगी हुई है व मौके पर लोहे का गेट लगा हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला बनना नहीं पाया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 वादग्रस्त कृषि भूमि के सद्भाविक क्रेता है। इसलिए यदि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है तो वह अपने क्रयशुदा व कब्जाशुदा सम्पत्ति से वंचित हो जाएगा जिससे प्रार्थीगण के मुकाबले अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा व क्षति कारित होगी। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से दौराने बहस यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को वादग्रस्त विक्रय पत्र के अनुसार ना तो कब्जा दिया गया है और ना ही कब्जा दिया जाना सम्भव है और उनके द्वारा यदि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए हैं :–

1– 1991 आर.आर.डी. पेज नं. 426

2– 2008 (1) आर.आर.टी. पेज नं. 301

3– 2011 (2) आर.जे.टी. पेज नं. 813

4– 1984 आर.एल.डब्ल्यू. पेज नं. 573

5– 1973 डब्ल्यू.एल.एन. पेज नं. 654

6– 1972 डब्ल्यू.एल.एन. पेज नं. 323

7– 2012 ए.आई.आर. उत्तराखण्ड पेज नं. 42

8– 2003 ए.आई.आर. पंजाब एण्ड हरियाणा पेज नं. 360

दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन

किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 4 जगनसिंह जो प्रार्थीगण के पिता है, का 1/2 हिस्सा होना जाहिर होता है एवं प्रार्थीगण के द्वारा जो प्रार्थी सं. 1 से 4 का वादग्रस्त कृषि भूमि में नोशनल हिस्सा होना बताया गया है एवं प्रार्थीगण के द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.2004 को अवैध, शुन्य व निरस्त घोषित कराने हेतु अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 769 रकबा 1.57 हैक्टेयर में प्रार्थीगण सं. 1 से 4 को नोशनल हिस्सा प्राप्त है या नहीं एवं विवादित कृषि भूमि सहदायिक पैतृक कृषि भूमि है या नहीं तथा विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.2004 प्रार्थनापत्र की मद सं. 4 में वर्णित कारणों से अवैध व शुन्य घोषित किए जाने योग्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् ही निर्णय किया जा सकेगा। इस स्तर पर प्रार्थीगण एक विचारणीय बिन्दु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल रहा है कि विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.2004 अवैध व शुन्य एवं प्रभावहीन है या नहीं, जिसका विचारण इस न्यायालय के द्वारा किया जाना है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति :–

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया गया है एवं यदि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, तो प्रार्थीगण का दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा एवं अप्रार्थीगण के मुकाबले प्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा और क्षति कारित होगी, जिसकी मुद्रा में भरपाई किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते हैं।

आदेश

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश–39 नियम–1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि का बेचान ना करें।

(ऋतु मीणा)
सिविल न्यायाधीश
सीकर (राज.)

आदेश आज दिनांक 22.01.2015 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
सिविल न्यायाधीश
सीकर (राज.)